कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(1)2019/कार्मिक/प्रमुवस/ 181-306 दिनांक 22 जनवरी, 2019

निमित,

समस्त वनाधिकारी

विषय :– क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक करनें बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक (क–1/गोप्र) विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 13 (76) कार्मिक/क–1/गोप्र/2011 दिनांक 31.12.2018 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज में IPR MODULE द्वारा ऑन लाईन स्वयं द्वारा भरा जाना वांछनीय है। जो राजपत्रित अधिकारी अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी विजीलेन्स क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने तथा आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं किये जाने के निर्देश भी राज्य सरकार के उक्त परिपत्रों में उल्लेखित है।

अतः आप अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम को पाबन्द करें कि वे वर्ष 2019 के लिये (दिनांक 01.01.2019 की स्थिति अनुसार) अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित अवधि में उक्त निर्देशानुसार भरकर पालना करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(दीपक भटनागर)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशासन) राजस्थान, जयपुर

प्रक्रिया

किसी भी अधिकारी को राजकाज के माध्यम से Immovable Property Return (IPR) भरने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य (Mandatory) हैः-

प्रक्रिया	समाधान
अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर होना चाहियें।	यदि अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर नहीं है तो पहले वह SSO Portal पर रजिस्टर करें। यदि अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर हैं लेकिन उनकी आवश्यक सूचना जैसे कि Employee ID (eg. RJJP201011119001235), Aadhaar No, Mobile No., Email ID ठीक नहीं है तो वह स्वयं SSO Portal पर Login करके अपनी सूचना को Update करें।
RAJ-KAJ Application में अधिकारी की Employee Profile created होनी चाहिए।	यदि अधिकारी की Raj-Kaj में Employee profile created नहीं है तो वह RAJ-KAJ Application में Employee Self User Creation के माध्यम से आवश्यक सूचना जैसेः- Employee Name, Father's Name (English & Hindi), Appointing Department, Service Type, Cadre, Designation, Posted Department etc उपलब्ध कर अपनी Profile Create कर सकते हैं।
RAJ-KAJ Application के माध्यम से Immovable Property Return (IPR) भरना।	RAJ-KAJ Portal पर Applications icon क्लिक करने के पश्चात् left menu में Employee Functions → Immovable Property Return सलेक्ट करें। इसके पश्चात् अधिकारी Property की Details भरकर Save कर सकते हैं। अधिकारी Add बटन के द्वारा अपनी शेष Property की Details भर सकते हैं। View IPR बटन को click कर अधिकारी अपने द्वारा भरी गई समस्त सम्पत्ति का विवरण देख सकते हैं। यदि किसी सम्पत्ति के विवरण में कुछ परिवर्तन करना है तो उस सम्पत्ति को Select कर Update बटन के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं।

P-T-O

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1 / गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2011 जयपुर, दिनांक 31 DEC 2018

–:परिपत्र:–

विषयः–समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में।

राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है।

अतः सभी प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबंध में आपके विभाग में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को इन बिन्दुओं की पालना करने हेतु सुनिश्चित करावें:–

1. राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं अधिकारी द्वारा पूर्ति कराई जाती है।

2. प्रशासनिक विभागों द्वारा यह निर्देशित किया जावें कि उनके अधीन समस्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय में अपना अचल सम्पति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर पर पूर्ति करने का निर्देश प्रदान करें। वर्ष 2018 से टंकित / हस्तलिखित अचल सम्पति विवरण स्वीकार योग्य नहीं है।

3. जो अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण की सूचना प्रस्तुत नही करेगें, कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प. 13(76)का. / क–1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेस कलीयरेंस नही दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नही किया जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायतशाषी संस्थाओं उपकमों पर भी लागू है।

4. सभी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018 (01 जनवरी 2019 की स्थिति में) अपना अचल सम्पति विवरण व उसके पश्चातवर्ती वर्षो का अचल सम्पति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

5. अचल सम्पति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE में भरने की समय सीमा 31 जनवरी है, 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE पर अचल सम्पति विवरण नही भरे जायेगें।

6. समस्त राज्य सेवा अधिकारियों को SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

समस्त प्रशासनिक विभागों / विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा निगम बोर्ड, स्वायतशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों को अपनी अचल सम्पति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन स्वयं अधिकारियों द्वारा समय सीमा में पूर्ति कराये जाने हेतु निर्देशित करें।

उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण उपर्युक्त समय सीमा में नही भरेगें तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेन्स कलीयरेन्स नही दी जावेंगी एवं पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नही दी जावेंगी।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3.वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4.समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव।
5.समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव मंत्री / राज्य मंत्री / संसदीय सचिव।
6.समस्त संभागीय आयुक्त ।
7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9.एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10.तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

1.सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3.पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4.अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6.पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7.निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8.समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान।
9.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव